Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE ESTATE AGENCY

Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES

(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa

24, Hours Service

Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 24 अंक 10 फरीदाबाद, शुक्रवार, 1-15 अप्रैल 2011 फोन : - 9999595632, 0129- 4022632 सहयोग राशि 1 रुपया

रिश्वतखोरी का आरोप साज़िश : निर्मल यादव

यानी चोरी और सीनाजोरी, अब अपने भाई अजय की तरह राजनीति में आ कर जनता की 'सेवा' करेंगी

रेवाड़ी (म.मो.) 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने वाली पूर्व जज निर्मल यादव ने कहा है कि उनके खिलाफ़ रिश्वतखोरी के आरोप में जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, वह एक साज़िश के तहत किया गया है ताकि वे सुप्रीम कोर्ट की जज न बन सकें। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया गया है और वे पूरी तरह ईमानदार हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार राजनीतिक रूप से मजबूत है और कुछ लोग नहीं चाहते कि उनका परिवार राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े।

उपरोक्त उद्गार उन्होंने सहारनवास स्थित राव अभय सिंह कॉलेज में अपने सम्मान में आयोजित समारोह में व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्हें शाल, चांदी का मुकुट और पगड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर निर्मल यादव के भाई कैप्टन अजय सिंह यादव एवं उनकी माता भी उपस्थित थीं। कैप्टन अजय सिंह यादव हरियाणा के वित्त, सिंचाई, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने भी अपनी बहन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि वह इस क्षेत्र की पहली महिला हैं जिन्होंने जज बन कर लोगों की सेवा की है।

यह तो निर्मल यादव का राजनीतिक प्रभाव और न्यायपालिका में नीचे से लेकर ऊपर तक फैला महाभ्रष्टाचार था कि वे इतने दिनों तक बच गईं और इस देश की भ्रष्ट सरकार ने उन्हें उनका सेवाकाल पूरा होने दिया, वरना काम तो उन्होंने ऐसा किया था कि तत्काल उन्हें हथकड़ी लगनी चाहिए थी। आख़िर रिश्वतखोरी कोई मामूली अपराध नहीं है। पर इस देश में कहने के लिए तो कानून सभी के लिए एक है, लेकिन आम और खास लोगों के लिए अलग-अलग कानून हैं। इसी के तहत निर्मल यादव बचती रहीं। जज होने का पूरा लाभ उन्हें मिला। पहले छुट्टी पर गईं, फ़िर उन्हें पूरे सम्मान के साथ उत्तराखंड भेज दिया गया। अब सेवा निवृत्ति के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। पर वे सोचें कि आम और खास लोगों के लिए अलग-अलग कानून होने के कारण ही वे अभी अपना सम्मान, स्वागत और अभिनंदन करवा रही हैं। वरना किसी जेल की कोठरी में बंद होतीं। उन्हें साज़िश आदि बातों को छोड़ कर इस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए कि वे न्यायिक सेवा में आईं और हाई कोर्ट की जज बनीं। जज बनने के कारण उन्हें कुछ ऐसे 'विशेषाधिकार' मिल गये कि अभी तक उनके हाथों में हथकड़ी नहीं लगी है।

इनका कहना है कि अब वे राजनीति की दुनिया में कदम रख कर जनता की सेवा करेंगी। चलिये, इतने दिनों तक न्यायपालिका में रह कर जनता की 'सेवा' कर लीं। जनता की 'सेवा' करने वालों को इसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि इसके बिना वे रह ही नहीं सकते। इसके लिए राजनीति से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है? राजनीति में कालिख पुते चेहरों की जरूरत ज़्यादा है और उनके निकट संबंधी भी राजनीति में काफ़ी ऊंचाई पर हैं। अतः राजनीति में प्रवेश करने में निर्मल यादव को परेशानी नहीं होगी।

निर्मल यादव को बचाने के लिए नेताओं से लेकर हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कम प्रयास नहीं किया। स्वयं पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की ताकि न्यायपालिका की 'प्रतिष्ठा' कायम रहे। पर बालाकृष्णन दूसरों को क्या बचाते स्वयं ही भ्रष्टाचार के जाल में उलझ गये। इस हद तक कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस.वर्मा को कहना पड़ा कि ऐसा व्यक्ति मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। पर क्या करें? यहां तो एक से एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगाते रहे हैं। 'मज़दूर मोर्चा' ने ऐसे सभी न्यायाधीशों की कहानियां छापी हैं जिन्होंने न्यायपालिका के मुंह पर कालिख लगाई है।

- शेष पेज 2 पर

ईएसआई मुद्दे पर

केंद्रीय श्रम मंत्री ने चेताया राज्य के श्रम मंत्री को

मानेसर (म.मो.) दिनांक 28.3.11 को यहां 100 बेड के पूर्णतः वातानुकूलित ईएसआई अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण कहा कि ईएसआई निगम स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए राज्य सरकार को पैसा देना चाहती है, परंतु राज्य सरकार है कि बार-बार कहने के बावजूद पैसा लेती ही नहीं।

विदित है कि स्वास्थ्य सेवायें चलाना राज्य का विषय है। परंतु श्रमिक कल्याण के नाम पर बने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) मज़दूरों के वेतन से पैसा काट कर राज्य सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें चलवाती है। इन सेवाओं पर कुल खर्च का 88 प्रतिशत ईएसआईसी अदा करती है और शेष 12 प्रतिशत राज्य सरकार को खर्च करना होता है। राज्य सरकार अपने इसी 12 प्रतिशत को बचाने के चक्कर में, बढ़ती महंगाई के बावजूद ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं का बजट लगातार घटाती जा रही है। चूंकि इन सेवाओं को चलाने का पूरा दायित्व राज्य सरकार का है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च का सालाना बजट राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है।

मंत्री होने के नाते उन्हें व्यापक जनहित में कार्य करने चाहिएं और ईएसआई अस्पतालों का बजट बढ़वाना वास्तव में कोई बड़ा या कठिन काम नहीं है, इस से राज्य सरकार पर एक पैसे का भी बोझ नहीं पड़ता। जो पैसा राज्य सरकार ईएसआई पर खर्च करती है, उसको राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से निकाला जा सकता है।

राज्य में ईएसआई स्वास्थ्य सेवायें श्रम मंत्रालय के अधीन होने के नाते, श्रम मंत्री का दायित्व बनता है कि वह श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए ईएसआई बजट में उचित प्रावधान करायें। लेकिन राज्य के श्रम मंत्री, जो श्रमिक बहुल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, केवल साइकिलें बांटने व भाषणबाज़ी के द्वारा मज़दूरों को बरगलाने के अलावा कुछ भी ठोस कार्य नहीं कर रहे हैं।

अधिकारियों के तबादले करवा देना या रुकवा देना, अपने दस-बीस चमचों की नौकरी लगवा देना ही एक मंत्री का काम नहीं होता। मंत्री होने के नाते उन्हें व्यापक जनहित में कार्य करने चाहिए और ईएसआई अस्पतालों का बजट बढ़वाना वास्तव में कोई बड़ा या कठिन काम नहीं है, इस से राज्य सरकार पर एक पैसे का भी बोझ नहीं पड़ता। जो पैसा राज्य सरकार ईएसआई पर खर्च करती है, उसको राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से निकाला जा सकता है। विदित है कि दोनों ही स्वास्थ्य सेवायें आखिर हैं तो राज्य की जनता के लिए ही। बस यही बात श्रम मंत्री को समझानी है सरकार चलाने वाले निकम्मे व नालायक बाबुओं को।

- शेष पेज 2 पर

जाट आंदोलन : यह तो होना ही था

जिस प्रकार देश में आरक्षण की नीति को राजनीतिज्ञों ने सत्ता पाने के सबसे आसान तरीके के रूप में बढ़ावा दिया है, उसमें आरक्षण के लिए जाटों का आंदोलन तो होना ही था। जाटों से पहले गुर्जरों ने आरक्षण के लिए एससी-एसटी दर्जा पाने के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया था और अभी भी समय-समय पर आंदोलन चला रहे हैं, वैसे में जाट ही क्यों पीछे रहते? जाट यद्यपि कहीं से पिछड़े नहीं हैं और इनकी गिनती उच्च जाति में होती है, फ़िर भी ये अपने आप को ओबीसी (अन्य पिछड़ा जाति) में शामिल करवा कर आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट शामिल हैं। इस जाट आंदोलन को लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। जाटों को आरक्षण मिलेगा तो इसका लाभ सभी राजनीतिक दल उठाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जहां मायावती इस जाट आंदोलन को समर्थन दे रही है, वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। केंद्र की सोनिया-मनमोहन सरकार भी जाट आरक्षण आंदोलन को समर्थन दे रही है। समर्थन देने का तरीका यह है कि आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों को सरकार ने रेलवे पटरियों को जाम करने की पूरी छूट दे दी। रेलवे पटरियां हफ्तों तक जाम रहीं, रोज लाखों यात्रियों को परेशानी होती रही, वाणिज्य-व्यवसाय में करोड़ों की हानि हुई। आखिर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश पर रेलवे पटरियों पर धरना देने वालों को वहां से हटना पड़ा। पर जाट आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों के हौंसले बुलंद हैं और उनका प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिल कर बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सत्ताधारी जाटों को भी आरक्षण का एक टुकड़ा डाल दें, पर इससे आरक्षण की बीमारी और भी बढ़ती ही चली जायेगी। रोज नयी-नयी जातियां आरक्षण की मांग उठा कर पटरियों पर धरना देगी, सड़कों को जाम करेगी और आम जनता के लिए भारी मुसीबत पैदा करेगी। क्या सरकार इन सबसे निबट पायेगी? क्या सरकार चाहती है कि लोग अपनी किसी भी मांग के लिए सीधा रेलवे पटरियों पर धरना दे कर उसे जाम कर दें?

वैसे देखा जाये तो ओबीसी (अन्य पिछड़ी जातियों) को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं थी। ये मध्यवर्ती खेतिहर जातियां हैं और सरकारी नौकरियों में भी इनका प्रतिनिधित्व कम नहीं है। पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल का पिटारा खोला तो इन्हें आरक्षण का लाभ मिला। इनकी देखादेखी अगर जाट समुदाय के लोग अपने आपको अन्य पिछड़ा जाति श्रेणी में शामिल करने की मांग करते हैं तो क्या ग़लत है। बेशक यह सब भारतीय राजनीति की पतनशीलता को पराकाष्ठा पर ले जाये, लेकिन यह आरक्षण की राजनीति की स्वाभाविक परिणति है।

आरक्षण तो भारतीय संविधान के तहत अत्यंत पिछड़ी जातियों और आदिवासियों को मिला था ताकि वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन यह भी सदा-सर्वदा के लिए नहीं था। पर आगे चल कर यह स्थाई ही नहीं हुआ, बल्कि राजनीति का एक मोहरा बन गया। राजनीतिबाज़ों को यह लगा कि आरक्षण का झुनझुना बजा कर वे मतदाताओं को आसानी से अपने पक्ष में कर सकते हैं। जाति भारतीय समाज-व्यवस्था की एक ऐसी खासियत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जाति के आधार पर लोगों में एक छद्म ही सही, एकता बन जाती है। इस एकता के आधार पर उस खास जाति के नेता के लिए उनके वोट ले लेना आसान होता है। इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो ही, यह जरूरी नहीं है। जातिगत भावनाओं को भड़का कर भी जाति के आधार पर वोट लिए जा सकते हैं और ऐसा होता रहा है। पर जाति व्यवस्था के आधार पर स्थाई रूप से वोट लेने के लिए आरक्षण का झुनझुना थमा कर जनता को बरगलाना राजनीतिज्ञों को अधिक आसान समझ में आया। इसीलिए धीरे-धीरे आरक्षण की व्यवस्था का विस्तार होता चला गया। इस काम को तब जोर-शोर से बढ़ाया गया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने।

शेष पेज 2 पर